## न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,रावतभाटा जिला- चित्तौड़गढ़

### पीठासीन अधिकारी - महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या प्रार्थना पत्र -106/2022

**अनवान**

संतोष कुमार पुत्र देवीलाल जी शर्मा, जाति ब्राह्मण, उम्र 80 वर्ष, निवासी भैंसरोड़गढ़, हाल निवास चक्की मोहल्ला रावतभाटा, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ राज. मो.न.-7568172025

-वादी

**बनाम**

1. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, जिला चित्तौडगढ़ राज.
2. श्री जिला वन अधिकारी जिला चित्तौड़गढ़ राज.
3. श्री क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेन्ज बोराव, जिला चित्तौड़गढ़ राज.

प्रतिवादी/विपक्षी

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित - श्री बाबूराम देराश्री अभिभाषक प्रार्थी।
श्री लालचन्द प्रजापत अभिभाषक अप्रार्थी।

**निर्णय** दिनांक 15.01.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी प्रार्थी ने उक्त अनवान सदर का एक वाद पत्र बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है जो सुदृढ़ आधारों पर आधारित होकर अवश्य हो वादी के पक्ष में निर्णित होगा किन्तु वाद पत्र के विचारण होकर फैसल होने में समय लगने की सम्भावना है इस कारण दौराने वाद विपक्षीगण को निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा है। वादी/ प्रार्थी का प्रथम दृष्ट्या वाद प्रमाणित है। प्रार्थी संतोष कुमार श्रोत्रीय (शर्मा) के नाम पर ग्राम खुमानगंज पटवार हल्का धांगडमउँकलां, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान में जमाबन्दी संवत 2076-79 में दर्ज आराजियात खाता संख्या 124 में खसरा नम्बर 77 रकबा 2.1600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 78 रकबा 0.6500 हैक्टेयर कुल किता-02 कुल रकबा 2.8100 हैक्टेयर कृषि भूमियां दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जिसपर प्रार्थी कदीमी समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जो वर्तमान मे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे है। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थी को दिनांक 30.05.1971 में आवंटित हुई थी तथा कब्जा भी प्रार्थी को आवंटन के पश्चात् राजस्व कर्मचारीगण, पटवारी गिरदावर ने मौके पर चलकर नापचौक करके प्रार्थी को सम्भला दिया था तभी से उक्त आराजी जैर बहस पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काबिज है। उक्त वर्णित कृषि भूमियों पर विपक्षीगण सं. 02 व 03 ने अपनी भूमि होना बताकर वृक्षारोपण करने के उद्देश्य से जबरन नाजायज कब्जा करने का विवाद उत्पन्न किया तो प्रार्थी ने व्यक्तिगत रूप से विपक्षीगण सं. 02 व 03 के ऑफिस में उपस्थित होकर अपनी कृषि भूमियों के आवंटन एवं रेवेन्यू रिकर्ड मे खातेदारी अधिकार से दर्ज होने अर्थात कृषि भूमियों से संबंधित समस्त कागजात बताये तथा इन कृषि भूमियों की सीमा जानकारी हेतु एक आवेदन पत्र भी श्रीमान तहसीलदार साहब रावतभाटा के यहां प्रस्तुत किया जिसपर श्रीमान तहसीलदार रावतभाटा ने पटवारी पटवार हल्का धांगडमउँकला को जरिये आदेश कमांकः भू.अ./सीमा/2021/1247 दिनांक 09.12.2021 को सीमा जानकारी करने के आदेश पटवारी पटवार हल्का को दिये जिसपर पटवार हल्का ने मौके पर चलकर प्राथएँ को उसके कब्जे काश्त व खातेदारी रिकॉर्ड की कृषि भूमियों की सीमा जानकारी कराई व उसकी रिपोर्ट व पर्चा मौका दिनांक 10.01.2022 को श्रीमान तहसीलदार साहब के यहां बाद सीमा जानकारी के पेश किया जिसके अनुसार उक्त वर्णित आराजी जैर बहस प्राथएँ के खातेदारी एवं कब्जे [illegible] होना बताकर सीमा जानकारी कराई जिससे यह स्पष्ट हो गया कि उक्त वर्णित कृषि [illegible] कृषि भूमियां होकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के नाम खातेदारी रिकॉर्ड में [illegible] 03 [illegible] कोई स्वामित्व व अधिकार नहीं है तथा इनको आराजी जैर बहस पर नाजायज [illegible] कर वृक्षारोपण करने हेतु उपयोग व उपभोग में लेने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थना पत्र के चरण सं. 03 में वर्णित कृषि भूमियां प्राथी के नाम आवंटित होकर राजस्व रिकॉर्ड मे [illegible] के नाम दिनांक 30.05.1971 से ही दर्ज चली आ रही है जिसपर प्रार्थी काबिज होकर इसका उपयोग करता आ रहा है तथा प्रार्थी ने आवंटन होने के पश्चात भारी अंग मेहनत कर काफी धनराशि खर्च कर कृषि भूमियों को

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.04 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

आबाद कर काबिल काश्त बनाया है तथा कृषि भूमियों के चारों ओर पत्थर की कोट बनवाई। जबकि विपक्षीगण के पास उक्त कृषि भूमियों को लेकर किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड उनके नाम पर नहीं है तथा वे प्रार्थी के साथ इन कृषि भूमियों को लेकर विवाद कर रहे हैं तथा जबरन नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं एवं वृक्षारोपण करने की कोशिश कर रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है इस कारण विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। अंत मे प्रार्थी द्वारा निवेदन किया प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाकर विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमियों में किसी प्रकार का नाजायज कब्जा कर गड्ढे खोद कर वृक्षारोपण एव अन्य तरीकों से नाजायज कब्जा ना स्वयं करे और ना किसी दिगर किसी व्यक्ति, ठेकेदार, मजदूर, कर्मचारी से करवावें साथ ही प्राथऍ की ृषि भूमियों पर चले आ रहे उसके शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार का अमल दखल, हस्तक्षेप एवं बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही दिगर किसी अन्य व्यक्ति से करवावें इस आषय की अस्थाई निषेधाज्ञा वाद के निस्तारण तक जारी कर आदेश फरमावें ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को तलब किया गया। विपक्षी संख्या 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री लालचन्द प्रजापत ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जवाब अनुसार प्रार्थना पत्र की कॉलम संख्या 01 में वर्णित न्यायालय में वाद पत्र पेश किया जाना स्वीकार है शेष कथन अस्वीकार होकर जवाब है कि प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर वाद प्रस्तुत किया जो प्रथम दृष्टया ही खारीज योग्य है केवल मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया जो अस्वीकार किये जाने योग्य है, प्रार्थी किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। कॉलम संख्या 2 के समस्त कथन अस्वीकार होकर जवाब है प्रार्थना पत्र प्रथमदृष्टया ही खारीज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र कॉलम संख्या 03 के समस्त कथन अस्वीकार होकर जवाब है कि प्रार्थी का नवीन खसरा संख्या 77, 7 है जिसके सेटलमेंट से पुर्व पुराने नम्बर 5/37 मी दर्ज रिकार्ड है जबकि विपक्षी संख्या 02 व 03 के खातेदारी हक अधिकारी दर्ज रिकार्ड की आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2076-77 की खाता संख्या 133 में दर्ज रिकार्ड होकर आराजी संख्या 1, 143, 14, 145,2, 3, 4/609, 585/2, 6, 67, 68, 69, 7, 70, 71 कुल किता 15 कुल रकबा 704.1232 है0 दर्ज रिकार्ड है जिसके पुराने नम्बर 5 दर्ज रिकार्ड होकर सम्पूर्ण खाता वन विभाग राजस्थान के नाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर विपक्षी संख्या 02 व 03 जरिये प्रतिनिधि वन विभाग राजस्थान काबिज है तथा प्रार्थी को विपक्षी संख्या 02 व 03 के खातेदर्ज आराजीयात के किसी भाग इंच रकबे पर कोई हक अधिकार नहीं है विपक्षी संख्या 02 व 03 जरिये प्रतिनिधि वन विभाग राजस्थान के नाम दर्ज रिकार्ड है जो सेटलमेंट के बाद भी शाश्वत रूप से चले आ रहे है जिस पर सम्पूर्ण हक व अधिकार वन विभाग को प्राप्त है वन विभाग क अलावा अन्य दिगर कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं है। कॉलम संख्या 04 का जवाब है कि प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 02 व 03 जरिये प्रतिनिधि वन विभाग राजस्थान के खातेदारी हक अधिकार की आराजीयात पर अवैध कब्जा करने की नियत से वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि विपक्षी संख्या 02 व 03 जरिये प्रतिनिधि वन विभाग राजस्थान की खाते की आराजीयात पर सम्पुर्ण चार दिवारी बनी होकर वन उपज एवं वन्य जीव संरक्षण हेतु उपयोग मे ली जा रही है जिससे प्रार्थी को विपक्षी संख्या 02, 03 प्रतिनिधि वन विभाग राजस्थान की खाते की आराजीयात के किसी भी भाग व हिस्से पर अवैध हस्तक्षेप करने का कोई हक व अधिकार नहीं है तथा प्रार्थी ने राजस्व विभाग के कर्मचारी से साठ गाठ व मिली भगत करके बिना प्रतिनिधि वन विभाग राजस्थान को जानकारी कराये विधी तरिके से सीमा जानकारी कर वन विभाग राजस्थान की खाते की आराजीयात में आपराधिक अतिचार करना चाहता है। कॉलम संख्या 05 का जवाब में प्रार्थी का विपक्षी संख्या 02, 03 प्रतिनिधि वन विभाग राजस्थान की खाते दर्ज आराजीयात प कोई हक अधिकार निहित नहीं है उक्त सम्पूर्ण रकबा भूमि गे0मु0 मगरी वन विभाग के खातेदारी दर्ज रिकार्ड होकर वन उपज एवं वन्य जीव सरंक्षण हेतु उपयोग मे ली जा रही है। प्रार्थी का अवैध अतिक्रमण भारतीय वन्य अधिनियम 1927 व वन्य सरंक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के विरूद्ध है तथा प्रार्थी को कोई हक अधिकार नहीं है इसलिए प्रा[illegible] प्रार्थी ने असत्य व मनगढंत तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत क[illegible] संख्या 02, 03 प्रतिनिधी वन विभाग राजस्थान खातेदारदर्ज रिकार्ड हक[illegible] मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के हक में निहीत [illegible] 02 व 03 की खाते दर्ज आराजी पर अवैध जबरन कब्जा करने पर आमदा होने से अपुर्णिय क्षति भी विपक्षीगण संख्या 02, 03 की हो रही है जिसकी पुर्ति किसी भी अर्थ में सम्भव नहीं है जिससे [illegible] किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने योग्य है।

पेरोकार सरकार प्रकरण मे फॉर्मल पार्टी होने से व राजहित प्रभावित नहीं होने से जवाब की आवश्यकता नहीं होने से जवाब बन्द किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.04 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी संतोष कुमार श्रोत्रीय (शर्मा) के नाम पर ग्राम खुमानगंज पटवार हल्का धांगडमउँकलां, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान में जमाबन्दी संवत 2076-79 में दर्ज आराजियात खाता संख्या 124 में खसरा नम्बर 77 रकबा 2.1600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 78 रकबा 0.6500 हैक्टेयर कुल किता-02 कुल रकबा 2.8100 हैक्टेयर कृषि भूमियां दर्ज रिकार्ड चली आ रही है जिसपर प्रार्थी कदीमी समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है जो वर्तमान मे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे है। उक्त कृषि भूमियां प्रार्थी को दिनांक 30.05.1971 में आवंटित हुई थी। विपक्षीगण संख्या 2, 3 के पास उक्त कृषि भूमियों को लेकर किसी प्रकार का कोई राजस्व रिकॉर्ड उनके नाम पर नहीं है तथा वे प्रार्थी के साथ इन कृषि भूमियों को लेकर विवाद कर रहे हैं तथा जबरन नाजायज कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं एवं वृक्षारोपण करने की कोशिश कर रहे है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है इस कारण विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना न्यायोचित है। इसके विपरित वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थी का नवीन खसरा संख्या 77, 7 है जिसके सेटलमेंट से पुर्व पुराने नम्बर 5/37 मी दर्ज रिकार्ड है जबकि विपक्षी संख्या 02 व 03 के खातेदारी हक अधिकारी दर्ज रिकार्ड की आराजीयात जमाबंदी सम्वत 2076-77 की खाता संख्या 133 में दर्ज रिकार्ड होकर आराजी संख्या 1, 143, 14, 145,2, 3, 4/609, 585/2, 6, 67, 68, 69, 7, 70, 71 कुल किता 15 कुल रकबा 704.1232 है0 दर्ज रिकार्ड है जिसके पुराने नम्बर 5 दर्ज रिकार्ड होकर सम्पूर्ण खाता वन विभाग राजस्थान के नाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर विपक्षी संख्या 02 व 03 जरिये प्रतिनिधि वन विभाग राजस्थान काबिज है, प्रार्थी ने राजस्व विभाग के कर्मचारी से साठ गाठ व मिली भगत करके बिना प्रतिनिधि वन विभाग राजस्थान को जानकारी कराये विधी तरिके से सीमा जानकारी कर वन विभाग राजस्थान की खाते की आराजीयात में आपराधिक अतिचार करना चाहता है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र असत्य व मनगढंत आधारों पर होने से तथा सुदृढ आधारो पर आधारित नही होने से खाीज किये जाने योग्य है।

**-:आदेश:-**

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभयपक्ष की बहस पर मनन किया ग्राम खुमानगंज पटवार हल्का धांगडमउँकलां, तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ राजस्थान में जमाबन्दी संवत 2076-79 में दर्ज आराजियात खाता संख्या 124 में खसरा नम्बर 77 रकबा 2.1600 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 78 रकबा 0.6500 हैक्टेयर कुल किता-02 कुल रकबा 2.8100 हैक्टेयर भूमि संतोष कुमार पुत्र देवीलाल के नाम खातेदार दर्ज रिकार्ड है, किन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के निस्तारण होने पर ही साक्ष्य सबूतों के आधार पर विवादित आराजी की नये व पुराने नम्बरों की वस्तुस्थिति स्पष्ट होना प्रतित होती है, जिससे प्रथमदृष्टया हक प्रार्थी का होना साबित होता है, वर्तमान में सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में न होकर प्रार्थी के पक्ष में अधिक है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से स्वीकार किया जाकर उभय पक्ष को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक अपने अपने आराजी मे काश्त, अन्य कार्य करे व उक्त विवादित आराजीयात को क्रय, निर्माण कार्य इत्यादि ना तो स्वयं करे ना ही अन्य किसी दिगर व्यक्ति से करावें।

**निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को सुनाया गया।**

(महेश गगोरिया) R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2025.03.04 12:51:44 IST
Reason: SelfAttested